THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) The State Government of Kerala had sought financial assistance of Rs. 1.50 lakhs under the Central Plan scheme of "Training Research and Monitoring" for purchase of a computer and its accessories for networking of the office of Commissioner of Civil Supplies in Kerala with the National Informatics Centre. The proposal has been approved and sanctions issued recently for release of Rs. 1.35 lakhs as first instalment of the Grant-in-aid.

Registration of brands of agricultural products

504. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any foreign company applied or got any brands registered for rice, wheat or other agricultural products;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether any Indian company also got some brands registered for the above products; if so, the product-wise details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) Yes, Sir. Both Indian and Foreign Companies have registered/applied for registeration of the same or similar makes in respect of rice, wheat, etc.

(b) and (c) Information is being collected.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं और चावल का बिक्री मूल्य

505. **श्री कपिल सिब्बल:**
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों में वृद्धि करने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो घोषणानुसार सरकार ने राज्य सरकार को बेचे जाने हेतु गेहूं और चावल की कितनी-कितनी कीमत तय की है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें अपने उपभोक्ताओं को गेहूं और चावल और अधिक मूल्य पर बेचेंगी; और

(घ) यदि हां, तो देश में औसत उपभोक्ता विक्रय मूल्य के संबंध में क्या अनुमान है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) और (ख) जी, हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से) का 29.1.1999 से केवल गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए निम्नानुसार संशोधन किया गया है:—

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिन्स	गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य	
गेहूं	650 रुपये	
चावल साधारण	700 रुपये	केवल जम्मू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश और सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश सहित उत्तर पूर्व राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लागू है।
ग्रेड "ए"	905 रुपये	